

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य-
(पत्रांक-340/2024 दिनांक 04.12.2024)
***दिनांक-04.12.2024 को जनपद कुशीनगर पुलिस**
द्वारा किया गया सराहनीय कार्य-*

1-थाना चौराखास पुलिस द्वारा दुष्कर्म, पाक्सो एक्ट आदि के मुकदमें में वांछित एक नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद कुशीनगर में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 04.12.2024 को थाना चौराखास पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 215/2024 धारा 137(2)/352/351(3)/64 बीएनएस व ¾ पाक्सो एक्ट थाना चौराखास जनपद कुशीनगर से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त शैलेन्द्र कुमार पुत्र रामबली प्रसाद निवासी माधोपुर (मीर के पटिया) थाना चौराखास जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 215/2024 धारा 137(2)/352/351(3)/64 बीएनएस व ¾ पाक्सो एक्ट थाना चौराखास जनपद कुशीनगर।

गिरफ्तार अभियुक्त-

शैलेन्द्र कुमार पुत्र रामबली प्रसाद निवासी माधोपुर (मीर के पटिया) थाना चौराखास जनपद कुशीनगर

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

- 1-प्र0नि0 श्री विद्याधर कुशवाहा थाना चौराखास जनपद कुशीनगर
- 2-उ0नि0 नबीस अहमद थाना चौराखास जनपद कुशीनगर
- 3-का0 चन्द्रशेखर प्रजापति थाना चौराखास जनपद कुशीनगर
- 4-का0 उमेश चन्द थाना चौराखास जनपद कुशीनगर

2-थाना पटहेरवा पर आबकारी एक्ट के तहत वर्ष 2022,2023,2024 के कुल 20 मुकदमों में बरामद अवैध देशी,अंग्रेजी व कच्ची शराब आदि कुल 830 लीटर (कुल अनुमानित कीमत लगभग 02 लाख रुपये) को मा0 न्यायालय के आदेश के क्रम में नष्ट किया गया-

पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री सन्तोष कुमार मिश्रा द्वारा समस्त थाना प्रभारी को अपने-अपने मालखाने पर आबकारी अधिनियम के तहत बरामद की गयी अवैध शराबों को यथाशीघ्र निस्तारण कराने हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री रितेश कुमार सिंह के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तमकुहीराज श्री अमित सक्सेना के नेतृत्व में, थानाध्यक्ष थाना पटहेरवा द्वारा थाना पटहेरवा पर वर्ष 2022,2023,2024 के कुल 20 मुकदमों में बरामद अवैध अंग्रेजी ,देशी व कच्ची शराब को नष्ट कराने का आदेश मा० न्यायालय जे०एम० कसया कुशीनगर प्राप्त किया गया। उक्त आदेश के अनुपालन में आज दिनांक 04.12.2024 को ए० पी०ओ० श्री देवेश शुक्ला, कार्यालय लिपिक श्री सुरेश यादव न्यायालय कसया, नायब तहसीलदार तमकुहीराज लक्ष्मी वर्मा, थानाध्यक्ष श्री दीपक कुमार सिंह थाना पटहेरवा, व०उ०नि० हरेराम सिंह यादव, हे०मो० वीरा प्रसाद यादव ,पैरोकार का० रमेश आदि की उपस्थिति में थाना परिसर में जे०सी०बी० से गट्टा खुदवा कर कुल 20 मुकदमों में बरामद अवैध देशी व कच्ची तथा अंग्रेजी शराब को नियमानुसार नष्ट करवाया गया। नष्ट किये गये कुल माल 20 मुकदमा मे कुल 830 लीटर शराब कुल कीमत लगभग 02 लाख रुपये है।

जिनके उपस्थिति में मा० न्यायालय के आदेश के क्रम में अवैध शराब नष्ट किया गया-

- 1-श्री अमित सक्सेना क्षेत्राधिकारी तमकुहीराज जनपद कुशीनगर
- 2-लक्ष्मी वर्मा नायब तहसीलदार तमकुहीराज जनपद कुशीनगर
- 3-श्री देवेश शुक्ला सहायक अभियोजन अधिकारी न्यायालय कसया कुशीनगर
- 4-श्री सुरेश यादव कार्यालय लिपिक न्यायालय कसया कुशीनगर
- 5-श्री दीपक कुमार सिंह थानाध्यक्ष पटहेरवा जनपद कुशीनगर
- 6-श्री हरेराम सिंह यादव व०उ०नि० थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर
- 7-हे०मो० वीरा प्रसाद यादव थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर
- 8-का० रमेश कुमार (न्यायालय पैरोकार कसया) कुशीनगर

3-थाना सेवरही पर आबकारी एक्ट के तहत वर्ष 2023,2024 के जुलाई तक के कुल 44 मुकदमों में बरामद अवैध देशी,अंग्रेजी व कच्ची शराब आदि कुल 420 लीटर (कुल अनुमानित कीमत लगभग 01 लाख रुपये) को मा० न्यायालय के आदेश के क्रम में नष्ट किया गया।

पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री सन्तोष कुमार मिश्रा द्वारा समस्त थाना प्रभारी को अपने-अपने मालखाने पर आबकारी अधिनियम के तहत बरामद की गयी अवैध शराबों को यथाशीघ्र निस्तारण कराने हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री रितेश

कुमार सिंह के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तमकुहीराज श्री अमित सक्सेना के नेतृत्व में, थाना सेवरही द्वारा वर्ष 2023 व वर्ष 2024 के जुलाई तक के कुल 20 मुकदमों में बरामद अवैध अंग्रेजी, देशी व कच्ची शराब को नष्ट कराने का आदेश मा० न्यायालय जे०एम० कसया कुशीनगर प्राप्त किया गया। उक्त आदेश के अनुपालन में आज दिनांक 04.12.2024 को ए० पी०ओ० श्री देवेश शुक्ला, कार्यालय लिपिक श्री सुरेश यादव न्यायालय कसया, नायब तहसीलदार तरयासुजान श्री कुन्दन वर्मा, थानाध्यक्ष श्री प्रकाश राय थाना सेवरही, व०उ०नि० राजेन्द्र सिंह, हे०मो० रामप्रीत गौड़, पैरोकार का० संजय पाल आदि की उपस्थिति में थाना परिसर में जे०सी०बी० से गट्टा खुदवा कर कुल 44 मुकदमों में बरामद अवैध देशी व कच्ची तथा अंग्रेजी शराब को नियमानुसार नष्ट करवाया गया। नष्ट किये गये कुल माल 44 मुकदमा में कुल 420 लीटर शराब कुल कीमत लगभग 01 लाख रुपये है।

जिनके उपस्थिति में मा० न्यायालय के आदेश के क्रम में अवैध शराब नष्ट किया गया-

- 1-श्री अमित सक्सेना क्षेत्राधिकारी तमकुहीराज जनपद कुशीनगर
- 2- श्री कुन्दन वर्मा नायब तहसीलदार तरयासुजान जनपद कुशीनगर
- 3-श्री देवेश शुक्ला सहायक अभियोजन अधिकारी न्यायालय कसया कुशीनगर
- 4-श्री सुरेश यादव कार्यालय लिपिक न्यायालय कसया कुशीनगर
- 5-श्री प्रकाश राय थानाध्यक्ष सेवरही जनपद कुशीनगर
- 6-श्री राजेन्द्र सिंह व०उ०नि० थाना सेवरही जनपद कुशीनगर
- 7-हे०मो० रामप्रीत गौड़ थाना सेवरही जनपद कुशीनगर
- 8-का० संजय पाल (न्यायालय पैरोकार कसया) कुशीनगर

शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-

जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 48 नफर अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 170 बीएनएसएस के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

कार्यवाही एक नजर में=

- 1- मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही-सीज-01, ई-चालान-181 वाहन
- 2- 126/135 बीएनएसएस में की गयी कार्यवाही-मु०-41, व्यक्ति-116
- 3- वांछित/वारंटी/अन्य अपराधों में अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(01)
- 4- जनपद में कुल गिरफ्तारी-(कुल-49)

सोशल मीडिया सेल

जनपद कुशीनगर